राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3848/2025

महेन्द्र कुमार यादवेन्दु **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, बारां।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.08.2025
आदेश की दिनांक : 17.09.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार के पद पर उपखण्ड कार्यालय, बारां में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 06.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से तहसीलदार डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली, 1956 के नियम 30 के तहत नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है और पदोन्नति की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 29.03.2025 को जिला कलेक्टर, बारां के समक्ष उपस्थिति प्रदान की। अपीलार्थी जन्मतिथि 15.01.1966 के अनुसार दिनांक 31.01.2026 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है। इस प्रकार सेवानिवृत्ति में मात्र 6 माह का समय शेष है। अपीलार्थी के वृद्ध माता–पिता जिनकी उम्र 80 और 85 वर्ष है, जिनका निरंतर उपचार चल रहा है और उनकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा की जाती है। अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति परित्याग हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान् निबंधक, राजस्व

मण्डल, अजमेर को दिनांक 28.08.2025 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके द्वारा पारिवारिक परेशानियों के आधार पर तहसीलदार के पद पर पदोन्नति का परित्याग किया गया है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी को तहसीलदार के पद पर मानते हुये उसका स्थानांतरण जिला डूंगरपुर किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.08.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 30.12.1991 को पटवारी के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 06.08.2025 के द्वारा तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया तथा पदोन्नति उपरांत अपीलार्थी को उपखंड कार्यालय, बारां से तहसीलदार डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर पदस्थापित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है अपितु उसका पदोन्नति उपरांत पदस्थापन किया गया है, जो नियमानुसार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसीलदार के पद पर उपखण्ड कार्यालय, बारां में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 06.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से तहसीलदार डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा तहसीलदार डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 23.08.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली, 1956 के नियम 29ए के उप नियम 4 के अंतर्गत तहसीलदार पद की वर्ष 2023–24 की रिव्यू डीपीसी द्वारा अपीलार्थी को नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया है और पदोन्नति उपरांत आदेश दिनांक 06.08.2025 के द्वारा उसे वर्तमान पदस्थापन स्थान बारां से तहसीलदार डूंगरपुर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पदोन्नति परित्याग प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2025 जो निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रस्तुत किया गया है, के अवलोकन से स्पष्ट है

कि अपीलार्थी ने तहसीलदार के पद पर पदोन्नति का अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण परित्याग करने हेतु प्रार्थना पत्र निबंधक को प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी तहसीलदार के पद पर पदोन्नति नहीं चाहता है। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के पद पर पदोन्नत कार्मिकों का स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया है जबकि अपीलार्थी उक्त पदोन्नति का परित्याग कर चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी को तहसीलदार के पद पर नहीं माना जा सकता अपितु अपीलार्थी नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापित है। अतः उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 06.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 06.08.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य